न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

प्रार्थीगण :–

1. रोशनकंवर बेवा पहाड़सिंह उर्फ पाबूदानसिंह पुत्र सवाई सिंह
2. भगवानसिंह पुत्र पहाड़सिंह उर्फ पाबूदानसिंह
3. राजू उर्फ राजेन्द्रसिंह पुत्र पहाड़सिंह उर्फ पाबूदानसिंह
4. मनोजकंवर पुत्री पहाड़सिंह उर्फ पाबूदानसिंह
5. सरोजकंवर पुत्री पहाड़सिंह उर्फ पाबूदानसिंह सभी जाति राजपूत निवासी रूणीजा

बनाम

अप्रार्थी :–

तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना–पत्र बाबत् :– 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :– श्री जगदीशसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर :– 2023/172

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन)

निर्णय दिनांक :– 04.06.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि प्रार्थीगण की पैत्रक आराजी ग्राम रूणीजा में खसरा नम्बर 188/1, 189/3, 189/4, 188, 628 भूमि स्थित है। रेकॅर्ड में क्रमशः हमारे पति एवम् पिता कानाम पाबूदानसिंह की जगह पहाड़सिंह दर्ज हो गया है जबकि समस्त रेकर्ड एवम् अन्य दस्तावेजात में नाम पाबूदानसिंह ही दर्ज है। साथ ही प्रार्थी राजेन्द्रसिंह का नाम भी संक्षिप्त में राजूसिंह दर्ज कर दिया है जबकि रेकर्ड में नाम राजेन्द्रसिंह है। पाबूदानसिंह की मृत्यु के पश्चात हमें राजस्व एंट्री का पता चला जब हमने शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र दिया व पटवारी द्वारा इन्कार करने पर प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में उक्त संशोधन करवाने की इस्तदुआ चाही है।

प्रार्थना–पत्र वकील प्रार्थी द्वारा पेश किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी सरकार को जवाब हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार परबतसर द्वारा जवाब भिजवाया गया, जिसके अनुसार राजस्व ग्राम रूणिजा के खाता संख्या 111 सम्वत 2050–2053 में नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 02.11.1995 के द्वारा सवाई सिंह पुत्र फतेह सिंह जाति राजपूत के विरासत का नामान्तरण जगसिंह, प्रेमसिंह, खींवसिंह, मदनसिंह,पहाड़सिंह के नाम दर्ज किया गया। ग्राम रूणिजा के खसरा नम्बर 144, 144/1, 546 दिनांक 14.07. 2010 के द्वारा भगवान सिंह, राजूसिंह पुत्र पहाड़सिंह व सरोज कंवर, मनोज कंवर पुत्रीया

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

पहाड़सिंह व रोशन कंवर पत्नि पहाड़ सिंह कोम राजपूत दर्ज किया गया। अतः जवाब सरकार आने से जवाब बन्द कर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का समर्थन करते हुए ग्राम रूणीजा में खसरा नम्बर 188/1, 189/3, 189/4, 188, 628 में क्रमशः हमारे पति एवम् पिता का नाम पाबूदानसिंह की जगह पहाड़सिंह दर्ज हो गया है जिसके स्थान पर पाबूदानसिंह व राजूसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह के नाम से रेकर्ड शुद्ध किए जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 137 खसरा नम्बर 188, 628 व खाता संख्या 138, खसरा नम्बर 188/1,189/3, 189/4 की पेश की है जिसमें प्रार्थीगण सहखातेदार है। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वकील प्रार्थी ने पाबूदान सिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र जिसमें पाबूदान सिंह पुत्र सवाई सिंह अंकित है साथ ही रोशन कंवर का आधार कार्ड, परिवार कार्ड आदी पेश किए जिसमें भी रोशन कंवर पत्नि पाबूदान सिंह अंकित है व परिवार कार्ड में राजूसिंह के स्थान पर भी राजेन्द्र सिंह अंकित है इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुताबिक दस्तावेजात रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रूणीजा के खसरा नम्बर 188/1, 189/3, 189/4, 188, 628 में क्रमशः प्रार्थी संख्या 1 के पति एवम् प्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम पहाड़सिंह की जगह पाबूदानसिंह व प्रार्थी संख्या 3 राजूसिंह के स्थान पर राजेन्द्रसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदारामद हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर